5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

100

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड, ग्वालियर, [म०प्र०]

श्रीमती रुकमन बाई लोधी, पति अच्छू लोधी,
साकिन- ग्राम पटेरा, तहसील बल्देवगढ़,
जिला व टीकमगढ़, म.प्र. ...आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

!! बनाम !!

म.प्र. शासन, ...अनावेदक/उत्तरकर्ता

अपील प्रकरण क्रमांक

पुनरीक्षण आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959:

R. 267 - II / 2005

- 2 MAR 2005

आवेदिका याचिका निगरानी निम्न न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग के आदेश दिनांक 9.2.05 निगरानी प्रकरण क्रमांक 522-अ/19 वर्ष 2002-2003 से दुखित होकर निम्न आधारों पर पुन: यह निगरानी प्रस्तुत करता है:-

!! निगरानी के आधार !!

1. Call for records.
2. notice to n.as.

[1] यह कि, निम्न न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग श्री तिवारी साहब द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक - 9.2.05 में उक्त आदेश विधि विरुद्ध है एवं विधि प्रक्रिया में बड़ी भूल की है। इस कारण से निम्न न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं निरस्ती योग्य है।

[2] यह कि, निम्न न्यायालय ने विधि प्रक्रिया का उपयोग न कर अपने मन माने तरीके से बिना कोई गुण-दोषों पर आदेश पारित किया है जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जबकि आवेदक बार-बार कह रही है कि उसका पति 1982 के पूर्व से ही पति-पत्नी हैं और पति-पत्नी का 1982 से उक्त भूमि पर कब्जा रहा है जिसकी जुर्माना रसीद है मुनादी दिखाई गई गांव वालों के द्वारा कोई आपत्ति नहीं आई है क्योंकि जो उसके पति की 2 हे. जमीन है वह व तालाब डूब में चली गई है वह स्वयं

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 267–दो/05 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 522/अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 9–2–05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष, ग्राम जटेरा स्थित सर्वे नं. 74 एवं 657 रकबा कमशः 1.205 एवं 0.50 हैक्टर का व्यवस्थापन हेतु आवेदन पेश किया । तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 28–2–97 द्वारा वादित भूमि का व्यवस्थापन दखल रहित अधिनियम, 1984 के तहत आवेदिका के पक्ष में किया । उक्त व्यवस्थापन नियमों के विपरीत किए जाने के कारण कलेक्टर, ने आदेश दिनांक 20–2–03 द्वारा तहसीलदार का आदेश्रा निरस्त कर भूमि म0प्र0 शासन में दर्ज किये जाने का आदेश । इस आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 9–2–05 द्वारा निरस्त की । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा	

R 267-A/05

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो निगरानी मेमो में दिए गए हैं । अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के अवलोकन के उपरांत यह पाया हैक कि आवेदिका का कब्जा 2–10–84 को प्रमाणित नहीं है और ना ही वह सिद्ध कर पाई है । दखल रहित अधिनियम के तहत दिनांक 2–10–84 को प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होना आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । जहां तक प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने का प्रश्न है, यदि आदेश अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित हो तो ऐसे आदेश को कभी भी स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया जा सकता है और इसमें अवधि की बाधा नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य